न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 85/2015

1 ग्यारसी पत्नी मोहनलाल।
2 महावीर पुत्र मोहनलाल।
3 रामेश्वरी पुत्री मोहनलाल।
4 इन्द्रा पुत्री मोहनलाल।
5 सुमित्रा पुत्री मोहनलाल।
6 संतोष पुत्री मोहनलाल।
7 पतासी पुत्री मोहनलाल समस्त जाति जाट निवासीगण सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भंवरसिंह पुत्र सुखाराम।
2 सुखाराम पुत्र नन्दाराम।
3 श्रवण पुत्र सुखाराम।
4 धन्नी पुत्री सुखाराम।
5 मंजु पुत्री सुखाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर।
6 उप पंजियक धोद जिला सीकर।
7 तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट विरूद्व
निर्णय व डिक्री 21.05.2015 द्वारा सहायक कलेक्टर
द्वितीय सीकर श्रीमती प्रतिभा देवठिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री महेश जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 01.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 81/2012 में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने रेस्पोडेंट संख्या 02 के विरूद्व विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय के यहा दावा संख्या 81/2012 बउनवानी भंवरसिंह बनाम सुखसिंह आदि इस आशय का पेश किया कि मेरी दादी तीजु के गहने बेच कर खसरा नम्बर 2 व 3 वाके ग्राम सिंगरावट कय की गई थी इसलिये जमीन पुश्तैनी मान कर वादी/ रेस्पोडेंट संख्या 01 भंवरसिंह को खातेदार घोषित किया जावें। वादी का वाद खण्डन प्रतिवादी रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत करते हुये दावे में प्रतिवादी संख्या 05 मोहनलाल द्वारा भूमि खसरा नम्बर 2 व 3 जरिये चैक प्रतिफल अदा कर कय किया जाना बताते हुये विवादित भूमि में अपना कोई हक हिस्सा नही होने के अभिकथन करते हुये वाद वादी खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई। पत्रावली दिनांक 21.05.2015 को कैम्प सिंगरावट को पेश हुई जिसमे पुश्तैनी जमीन के बाबत पक्षकारो के बीच राजीनामा हुआ तथा अनावश्यक दावे सहमती से खारिज किये गये हस्तगत वाद में विवादित भूमि खसरा नम्बर 2 व 3 जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 04.06.2012 होने के उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 का कोई हक हिस्सा नही होते हुये भी रेस्पोडेंट का वाद दिनांक 21.05.2015 को डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पत्रावली में प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र से एवं पंजीकृत समोचन पत्र से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पैतृक नही है। विचारण न्यायालय में दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 05 मोहनलाल फौत हो गया विधि अनुसार उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के खण्डन में जवाब प्रस्तुत कर होने का विचारण न्यायालय को तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र से एवं पंजीकृत समोचन पत्र से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पैतृक नही है। विचारण न्यायालय में दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 05 मोहनलाल फौत हो गया विधि अनुसार उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के खण्डन में जवाब प्रस्तुत कर होने का विचारण न्यायालय को तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन अनुसार विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर